>

Title : Issue regarding misbehaviour and restricting the leaders of Samajwadi Party from attending the Proceedings of the House.

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज): अध्यक्ष महोदया, मैं सात मार्च, 2011 की तारीख से अपनी बात शुरू करता हूं। समाजवादी पार्टी का आन्दोलन पहले से घोषित था। सात मार्च, 2011 तारीख को जब हम लोग घर से निकलकर सदन की कार्यवाही में शामिल होने जा रहे थे तो देखा कि सब जगह बैरीकेडिंग हो गई थी, कहीं से निकल नहीं सकते थे और दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। जब हमने आपको पत्र लिखा तो आपके हस्तक्षेप द्वारा हमें निकलने का मौका मिला। उसके बाद हमारे बहुत से साथी कन्नौज में आन्दोलन करते हुए गिरफ्तार हो गए थे और उन्हें जेल में भेज दिया गया था। नौ मार्च, 2011 की तारीख को मैंने खुद कार्यक्रम बनाया और यह समझा कि मैं लखनऊ जाऊंगा, वहां से कन्नौज पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। मैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ कर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा तो क्या देखता हूं कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी और कई दूसरे अधिकारी जिन्हें मैं पहचान नहीं सकता था, वहां आकर मेरे पास खड़े हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हमारे साथ चलना है। मैंने कहा कि कहां चलना है, तो उन्होंने कहा कि बस, आपको चलना है। उसके बाद जहां पर सीआईएसएफ या सेंट्रल फोर्सेज जो एयरपोर्ट पर रहती हैं, उनके अलावा उत्तर प्रदेश की पूरी की पूरी पुलिस और उसके अधिकारी वहां थे। वे मुझे धक्का मारते हुए लेकर गए। एक सीनियर अधिकारी बृज लाल जो प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) है तथा एडिशनल एस.पी. श्री बी.पी. अशोक और दूसरे डी.के. ठाकुर जो बड़े अधिकारी हैं, लखनऊ में उन्हीं के कहने से कानून चलता है, उन्हीं के कहने से झूठे मुकदमें दर्ज हो रहे हैं। वे सब लोग मुझे लेकर गए। मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और दो अधिकारी पीछे से मुझे धक्का तथा मुक्का मारते हुए ले जा रहे थे। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने देखा कि वहां पर मेरी सुरक्षा में तैनात जो सिपाही थे, उनमें से एक भी नहीं है। मुझे मालूम पड़ा कि जो सिपाही मेरी सुरक्षा में तैनात थे, साढ़े सात बजे सुबह ही पुलिस उन्हें भी उठाकर ले गई और उनके मोबाइल फोन भी उनसे छीन लिए। उन्हें लखनऊ कैंट के थाने में रखा गया। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो मैंने चाहा कि मैं प्रैस वालों से बात कर लूं। लेकिन जितनी गलत भाषा का इस्तेमाल उन अधिकारियों ने करना था, वह किया और मेरे साथ धक्का-मुक्का की। वे मुझे धक्का मारते हुए दोनों हाथ पकड़ कर ले जा रहे थे और मैं बोल नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मुश्किल से दो-चार शब्द मैं प्रैस वालों से बोल पाया। उपरोक्त सारी घटनाएं टीवी पर पूरे देश के लोगों ने देखी । उसके बाद उन्हीं अधिकारियों ने मुझे उठाकर, मेरे दोनों हाथ पकड़े थे और पीछे से भी पकड़ा हुआ था, मेरे पैर उठाकर एक एम्बैसडर कार में ठूंस दिया। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर गया कि ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि पहले से ही उस गाड़ी में एक और पुलिस वाला बैठा था। अभी गाड़ी चलनी ही शुरू हुई थी और दरवाजे भी बंद नहीं हुए थे कि दूसरा पुलिस वाला भी अंदर घुस गया। मैंने मुश्किल से जगह दी तो मुझे खींचकर दोनों अधिकारियों ने अपने बीच में बिठा दिया।

लगभग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चली। रास्ते में कई मोड़ आये जहां गाड़ी पलटते-पलटते बची। मैंने बार-बार पूछा कि मुझे कहां लेकर जा रहे हो,लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सड़क पर आते वक्त भी गाड़ी पलटते-पलटते बची। जब जेल का मैंने दरवाजा देखा, जो जिले की नई बड़ी जेल लखनऊ से बाहर 14-15 किलोमीटर दूर बनी है, वहां ले जाकर मुझे जेल में बंद कर दिया। यह घटना मेरे साथ तो हुई ही है, इसके साथ ही हमारी मोहन लाल गंज की सांसद माननीया सुशीला सरोज जी के साथ भी 7 तारीख को घटना हुई। इन पर भी लाठी चलाई गयी, इनकी चेन पुलिस के लोगों ने छीन ली। इनके हाथ में लाठी लगी है। सांसद और भी हैं उन्हें भी इसी तरह से अपमान का सामना करना पड़ा है। हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। मैं तो लखनऊ में, आंदोलन में शामिल भी होने नहीं जा रहा था, लेकिन जिस तरह से हमारे छात्र-संगठन से जुड़े नौजवानों को मारा गया। वह बहुत ही शर्मनाक घटना है। उनकी मांग शांतिपूर्ण थी जिस पर लाठी चली, अनेक लोगों के हाथ-पैर में फ्रेक्चर हैं, माननीय आनंद भदौरिया का पैर टूटा है, सुनील कुमार जी का हाथ भी टूटा है। आनंद भदौरिया जी के कान का पर्दा भी फटा हुआ है। इसी तरह से छात्र नेता पंकज की आंख चली गयी होती। इसी तरह से राजेश नाम के नौजवान को पुलिस ने बहुत मारा है तथा जो गालियां उन्हें दी गयीं, वह मैं सदन में बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें डीजी (कानून व्यवस्था) ब्रिज लाल के इशारे पर, डीआईजी डीके ठाकुर ने गर्दन पर पैर रखकर उसे मारा है।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप इसे पटल पर रख दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव: उसकी जान जा सकती थी तथा इस तरह की गालियां दी गयीं, जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। हम लोगों का नाम लेकर गालियां दी गयी हैं। इन अधिकारियों ने कहीं न कहीं सम्मान गिराया है। मैं लोक सभा का सदस्य हूं, उसके बाद भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, अश्लील गालियां दी गयी। मैं इतना मर्माहत एवं भावुक हो गया हूं कि मैं ठीक से सभी बातें यहां कह भी नहीं सकता हूं। मैं आपको एक पत्र देना चाहता हूं और इस पत्र के द्वारा मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना आपको दे रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पूरे मामले को लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए, जिससे संसद सदस्य के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जा सके और संसद सदस्य के सम्मान की गरिमा को बरकरार रखा जा सके। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री अखिलेश यादव : मेरा आपसे निवेदन है कि इस पूरे केस को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए।

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

एक माननीय सदस्य : महोदया, हम लोगों का भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदया : आप पटल पर नाम भेज दीजिए। श्री शरद यादव।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय सांसद ने यहां बात रखी है, यह मामला विशेषाधिकार में

जाना चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण घोषित है, उसके बाद भी वहां इतने लोग घायल हुए और केवल एक एमपी साहबान नहीं, कई और भी लोग खड़े होकर बता रहे थे। यह ट्रेंड ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। आपके अलावा कोई और नहीं है, आपके द्वारा ही यह काम हो सकता है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपकर जिन अफसरों ने दुर्व्यवहार किया है, उन्हें उसमें बुलाया जाए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री दारा सिंह चौहान को बोलने दीजिए।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री दारा सिंह चौहन की बात के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय सांसद ने एक सांसद के विशेषाधिकार की बात सदन में उठाई है। मैं समझता हूं कि हर सांसद का विशेषाधिकार होता है, उसी के तहत गोरखनाथ पाण्डेय जी अपनी बात सदन में रख रहे हैं। मैं 7,8 और 9 तारीख से पहले की बात कहना चाहता हूं, जब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का 10, 11 और 12 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन था। उसमें कहा गया कि जो जितना खून बहाएगा, उसे टिकट दिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सदन में बिलकुल गलत बोला जा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय सदस्य की बात सुन लीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, जब 7,8 और 9 तारीख को इनका आंदोलन था और यह घोषणा हुई कि खून बहेगा, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था कायम की।...(व्यवधान) महोदया, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह मामला राज्य के कानून से संबंधित है, अगर इस तरह से हाउस में यह मामला उठाया जाएगा, तो देश में दूसरे राज्यों से संबंधित मामले यहां उठाए जाएंगे। इस विषय पर एक रूलिंग आनी चाहिए।...(व्यवधान) राज्य से संबंधित मामलों पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर ये लोग कहते हैं कि यह उनकी प्रिविलेज का सवाल है। 7 तारीख को यह मामला सदन में उठाया गया था, उसी दिन इनके नेता दिल्ली में मौजूद थे। इंडियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज की फ्लाइट से आए थे। हंगामा हो रहा था कि जब तक नेता जी नहीं आएंगे, हाउस नहीं चलने दिया जाएगा। मुझे बताया गया कि उस समय वे लाबी में थे।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप देखिए कि सांसद क्या बोल रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : यह जो फोटो दिखा रहे हैं, जिसमें कुचलते हुए दिखाया गया है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज साइंस का ज़माना है। किसी की फोटो कहीं भी लगाई जा सकती है। यह किसी सांसद की फोटो नहीं है। यह किसकी फोटो है, किस परिस्थिति में बनाई गई है, यह मैं नहीं बता सकता हूं।...(व्यवधान) महोदया, मैं आपसे इतना ही संरक्षण चाहता हूं कि यह प्रिविलेज का मामला नहीं है। ये लोग उत्तर प्रदेश में जो करना चाहते थे, उस काम को उत्तर प्रदेश सरकार ने करने नहीं दिया, इसलिए बौखला कर हाउस को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज चलेगा। इस तरह से हंगामा करने से, बौखलाने से कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी।